

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जन स्वास्थ्य विभाग
एन.आई.टी.

कार्य का नाम :— आवारा कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण करने के संबंध में।

क्र.	कार्य का विवरण	संख्या	प्रति नग दर अंकों में	प्रतिनग दर शब्दों में	कुल राशि
1.	आवारा कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण करने के संबंध।	2500 नग			

संलग्न :— नियम शर्ते

१३४२११३१४
कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई
जन स्वास्थ्य विभाग

आवारा कुत्ते का नसबंधी/बधियाकरण हेतु नियम शर्त :-

1. निविदा दाता को 50,550.00 रु. का एफ.डी.आर. कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई एवं निविदा दाता के संयुक्त नाम से राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा जारी किया होना चाहिये।
2. निविदा दाता को किसी शासकीय निकाय, अद्वैशासकीय निकाय में इसी प्रकार के कार्य का रु. 10.00 लाख का अनुभव अथवा 1250 कुत्तों का बधियाकरण संबंधी प्रमाण-पत्र/सफलता पूर्वक कार्य का निष्पादन संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा दाता आवारा कुत्तों को चिन्हित कर पकड़ने का कार्य एवं बधियाकरण का कार्य कमश: जोन कं. 1, 2, 3, एवं 4 में करेंगे। प्रत्येक जोन में बधियाकरण का कार्य लगातार तीन-तीन दिवस तक करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता रवयं के संशाधनों से कुत्ता पकड़ने आवश्यक दवाइयों का उपयोग कर बधिया-करण की कार्यवाही करेंगे। जिसके लिए निगम द्वारा मात्र आपरेशन कक्ष ही उपलब्ध कराया जावेगा।
5. निविदा दाता जिन कुत्तों का बधियाकरण की कार्यवाही करेगा उनको चिन्हित कर उसी स्थल पर छोड़ेगा जहां से उन्हें पकड़ा गया हो।
6. कुत्तों को बधियाकरण करने के समय उनकी किसी भी प्रकार की क्षति के लिए निविदा कार जिम्मेदार होगा व विधि समरत कार्यवाही उन पर की जावेगी।
7. निविदा कार किसी भी निजी (पालतू) कुत्तों का बधियाकरण नहीं करेगा। यदि किसी पालतू कुत्तों का बधियाकरण निविदा कार द्वारा किया जाता है तो इसके लिए वह रवयं जिम्मेदार होगा।
8. निविदा कार द्वारा आवारा कुत्तों का बधियाकरण निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारी/पर्यवेक्षक के समक्ष किया जावेगा। जिसका एक पंजी संघरित की जावेगी। जिसमें आवारा कुत्तों के संबंध में विवरण अंकित किया जावेगा। उक्त रजिस्टर का सत्यापन संबंधित रवच्छता निरीक्षक/पर्यवेक्षक से कराया जावेगा।
9. सत्यापित रजिस्टर के अनुसार देयक का भुगतान किया जावेगा।
10. पशु चिकित्सक सुपेला भिलाई से भी मार्गदर्शन लिया जाना होगा एवं उनकी निगरानी में कार्यवाही की जावेगी।
11. आवारा कुत्तों का बधियाकरण पशु चिकित्सक के द्वारा किया जावेगा। डाक्टर का डिग्री/पंजीयन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
12. निविदादाता को बधियाकरण के उपरांत कुत्तों को तीन दिवस तक निजी डाग हाउस में रखकर आवश्यकतानुसार भोजन, दवाई इत्यादि देना होगा।
13. निविदादाता को किसी शासकीय संस्था एवं अन्य निकाय में काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने संबंधी प्राप्ति-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. पकड़े गये प्रत्येक आवारा कुत्तों/बधियाकरण कार्य का फोटोग्राफ लिया जना आवश्यक है। उक्त फोटोग्राफ को देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. नियम शर्तों के उल्लंघन की दशा में (रु. 5000.00 से 10,000.00 तक) अर्थदण्ड से आयुक्त महोदय के आदेशानुसार दंडित/किया जावेगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई